

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी
(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 423 / 2012
संस्थित दिनांक 27.09.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
ठीकरी, जिला बड़वानी, मप्र

- अभियोगी

वि रु द्ध

1. संतोष पिता महादेव, उम्र 42 वर्ष,
निवासी-ग्राम कुआं थाना ठीकरी,
जिला बड़वानी, म.प्र.
2. महेश पिता अमीचंद उर्फ अमरसिंह,
उम्र 38 वर्ष, निवासी-ग्राम कुआं,
थाना ठीकरी, जिला बड़वानी, म.प्र.
3. राकेश पिता दयाराम उर्फ रामेश्वर, उम्र 41 वर्ष,
निवासी-ग्राम कुआं थाना ठीकरी,
जिला बड़वानी, म.प्र.
4. ओमप्रकाश पिता सदाशिव, उम्र 44 वर्ष,
निवासी-ग्राम कुआं थाना ठीकरी,
जिला बड़वानी, म.प्र.
5. प्रकाश उर्फ बबन पिता राजेन्द्र उर्फ राजाराम
उम्र 31 वर्ष, निवासी-ग्राम कुआं थाना ठीकरी,
जिला बड़वानी, म.प्र.
6. दीपक पिता रघुनाथ, उम्र 42 वर्ष,
निवासी-ग्राम कुआं थाना ठीकरी,
जिला बड़वानी, म.प्र.
7. भगवान पिता गजानन्द, उम्र 42 वर्ष,
निवासी-ग्राम कुआं थाना ठीकरी,
जिला बड़वानी, म.प्र.
8. महेन्द्र पिता श्रीराम उर्फ शोभाराम,
उम्र 38 वर्ष, निवासी-ग्राम कुआं थाना ठीकरी,
जिला बड़वानी, म.प्र.
9. महादेव पिता अमीचंद उर्फ आलोकचन्द उम्र 41 वर्ष,
निवासी-ग्राम कुआं थाना ठीकरी,
जिला बड़वानी, म.प्र.
10. दिनेश पिता गजानंद, उम्र 45 वर्ष,
निवासी-ग्राम कुआं थाना ठीकरी,
जिला बड़वानी, म.प्र.

- अभियुक्तगण

अभियोजन द्वारा एडीपीओ - श्री अकरम मंसूरी

अभियुक्तगण द्वारा अभिभाषक - श्री विशाल कर्मा

—: नि र्ण य :—

(आज दिनांक 29-11-2016 को घोषित)

01— पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 197/2012 के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 19.10.2011 को सायं लगभग 4:15 बजे ग्राम दवाना कन्ट्रोल रूम एम.पी.ई.बी. में विधि विरुद्ध जमाव का गठन करने, फरियादी अशोक को सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य व्यक्तियों को क्षोभ कारित करने तथा फरियादी जो कि एक लोक सेवक होते हुए लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा था, के कर्तव्य के निष्पादन में स्वेच्छया बाधा मारपीट कर आपराधिक बल का प्रयोग करने तथा फरियादी जो कि लोक सेवक होते हुए लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था को सह अभियुक्तों के साथ मिलकर उसके कर्तव्य के निर्वहन से निवारित कर स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिये भा.द.वि. की धारा 147, 294, 353, 332 का आरोप है।

02— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है।

03— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.10.2011 को फरियादी अशोक नामदेव ने थाना ठीकरी के यहा प्रदर्श पी 1 की लेखी रिपोर्ट पेश की कि उसके द्वारा रोजाना की तरह वसूली एवं कनेक्शन चेक कर दवाना 33/11 के.व्ही. कन्ट्रोल रूम फीडरो की लोड चेक कर रहा था कि अचानक ग्रिड के अन्दर कुआ, केरवा के उपभेक्ता गाली गलोच कर उसे जबरदस्ती कन्ट्रोल रूम से खींचकर बाहर ले गय, झूमा झपटी करने लगे और मां-बहन की गालियां दी, पीछे से उसे सिर पर किसी ने मारा, अचानक घटना के कारण वह कुछ समझ नहीं पाया, कुछ देर बाद उनके द्वारा कहा गया कि “तेरे द्वारा विद्युत कटौती की जा रही है सेड्यूल बनाकर हमे गुमराह किया जा रहा है, तेरी पत्नी को विधवा बना देंगे, यह घटना शाम के 4-15 बजे के बाद घटी उसकी टीम के सभी कर्मचारी बाहर बैठे थे, उन्हें भी गाली गलोच दी गई। सीताराम लाईनमेन को बताया गया कि तुमने नाम बताये तो हाथ-पैर तौड देंगे, उसके द्वारा सेड्यूल की जानकारी दी गई, इनके द्वारा उच्च अधिकारी से बात करने की बात की गई तो उसने श्रीमान कनखरे साहब से मोबाईल नम्बर 9425415358 पर संतोष महादेव पाटीदार से बात करवाई गई थी बात होने के बाद इनके द्वारा अपने साथियों सहित सेड्यूल की कापी लिखकर मांग की तो उसके द्वारा लिखकर दी गई थी भीड में लगभग 30-40 व्यक्ति आये थे जिन्हे निम्न लोग पहचानते है। ये नाम उसके कर्मचारी और उसके द्वारा पहचाने गये 1. संतोष महादेव पाटीदार, निवासी कुआ, 2. महेश अमिचन्द, निवासी कुआ, 3. दीपक रघुनाथ, निवासी कुआ, 4. भगवान गणपत, निवासी कुआ, 5. राकेश दयाराम, निवासी कुआ, 6. ओमप्रकाश सदाशिव, निवासी कुआ, 7. बबन राजाराम, निवासी कुआ, 8. महेन्द्र श्रीराम, निवासी कुआ, 9. महादेव अमीचन्द, निवासी कुआ, 10. दिनेश गंगाराम, निवासी कुआ। अतः अपसे अनुरोध है कि निम्न व्यक्तियों से पूछताछकर प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसकर शासकीय कार्य में

बाधा डाली गई है, प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने की कृपा करे। प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट में साक्षी सीताराम पिता जगलिया, गजानन्द पिता शिवाजी, गंगाराम पिता मेघन तीनों लाईनमैन तथा बाबूलाल पिता शोभाराम ग्रिड आपरेटर के भी हस्ताक्षर हैं, उक्त लेखी रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी में अपराध क्रमांक 197/2012 भा.द.वि. की धारा 353, 332, 294/34 दर्ज कर साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर, फरियादी का ड्यूटी प्रमाण पत्र प्राप्त किया, घटना स्थल का नक्शामौका बनाया, आहत अशोक का मेडिकल परीक्षण कराया गया, अभियुक्तों को गिरफ्तार करके तथा विवेचना पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— उपरोक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा अभियुक्तगण को भादवि की धारा 147, 294, 353, 332 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर उनकी विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। दप्रसं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्तगण का कथन है कि वे निर्दोष हैं वे विद्युत कटौती की बार-बार शिकायत करते थे, इसलिये उनके विरुद्ध दुर्भावना में झूठी रिपोर्ट की है तथा बचाव में साक्ष्य देना प्रकट किया, लेकिन कोई साक्ष्य पेश नहीं की गया।

05— प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
(i)	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 19.10.2011 को सायं में 4:15 बजे ग्राम दवाना कन्ट्रोल रूम एम.पी.ई.बी. में विधि विरुद्ध जमाव गठन किया, जिसका सामान्य उद्देश्य फरियादी अशोक के साथ मारपीट कारित करना था, उस जमाव के सदस्य रहते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बलवा कारित किया ?
(ii)	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी अशोक को सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य व्यक्तियों को क्षोभ कारित किया?
(iii)	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी जो कि एक लोक सेवक होते हुए लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा था, के कर्तव्य के निष्पादन में स्वेच्छया बाधा डालकर आपराधिक बल का प्रयोग किया?
(iv)	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी जो कि लोक सेवक होते हुए लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था को सह अभियुक्तों के साथ मिलकर उसके कर्तव्य के निर्वहन से निवारित कर स्वेच्छया उपहति कारित की

- विचारणीय प्रश्न क्रमांक (i), (iii), (iv) पर सकारण निष्कर्ष -

06- उपरोक्त चारों ही विचारणीय प्रश्न एक-दूसरे से संबंधित होकर साक्ष्य के दोहराव को रोकने व सुविधा तथा संक्षिप्तता की दृष्टि से इनका एकसाथ निराकरण किया जा रहा है।

07- उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन साक्षी अशोक नामदेव (अ.सा. 3) का कथन है कि वह न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण को जानता है, घटना दिनांक 19 अक्टूबर 201 की है, वह घटना दिनांक के समय ग्राम दवाना में विद्युत वितरण कंपनी में कनिष्ठ यंत्री के पद पर पदस्थ था तथा उसके पास दवाना क्षेत्र के 25 गांव का प्रभार था, घटना वाले दिन वह सामान्य चेकिंग के पश्चात शाम लगभग 4:00 बजे ग्रीड पर आ गया था तभी दवाना गांव के लगभग 25-30 व्यक्ति कंट्रोल रूम पर आकर तथा उसे खींचकर कंट्रोल रूम से बाहर ले आये थे। साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण को देखकर बताया कि घटना वाले दिन उक्त व्यक्ति उपस्थित थे। साक्षी का यह भी कथन है कि अन्य व्यक्तियों की भी भीड़ थी तभी भीड़ में से किसी ने उसे पीछे से सिर पर थप्पड़ मारा था, उस समय वह अपना शासकीय कार्य कर रहा था, इस प्रकार उसके शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की, भीड़ में से उसे सब लोगों ने कहा था कि आपके द्वारा विद्युत सेड्यूल अपनी मर्जी से बनाया जाता है, साक्षी ने स्पष्ट किया कि भीड़ जिस सेड्यूल की बात कर रही है वह आगे से उनके विभाग द्वारा तैयार होकर आता है, उसने सेड्यूल की जानकारी दी थी तथा अपने उच्च अधिकारी से फोन पर बात की थी, उसके पश्चात सभी लोग विद्युत कंट्रोल रूम से चले गये, उसने घटना की जानकारी अपने उच्च अधिकारी को दी थी और लिखित में घटना की शिकायत पुलिस थाना ठीकरी को दी थी तथा उसकी प्रतिलिपि उसने अधीक्षक यंत्री बड़वानी तथा कार्यपालन यंत्री बड़वानी को प्रेषित की थी। साक्षी ने प्रदर्श पी 1 रिपोर्ट पर सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसने जो लिखित शिकायत की थी उसमें उसने कुछ लोगों के नाम जिन्हें वह जानता है लिखे हैं तथा शेष नाम उसे सीताराम, गजानन्द व गंगाराम, ने बताये थे। उसने पुलिस को घटना स्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 3 का बताया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, उसका मेडिकल परीक्षण शासकीय चिकित्सालय बड़वानी में हुआ था, साक्षी से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट के डी से डी भाग पर अभियुक्तगण के नाम उसने स्वयं लिखे थे। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसके उसे उसके लाईनमेन गजानंद, सीताराम, एवं गंगाराम ने सभी अभियुक्तगण के नाम बताये थे, क्योंकि वे अभियुक्तगण के गांव का लाईनमेन होने के कारण पहचानते थे। साक्षी ने प्रदर्श पी 4 के कथन में भी अभियुक्तगण के नाम स्वयं द्वारा लिखने से इंकार किया है।

08- बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के समय विद्युत कटौती बहुत ज्यादा होती थी, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उपर से सेड्यूल बनकर आता था उसी के आधार पर विद्युत का प्रदाय किया

जाता था और विद्युत कटौती सेड्यूल की एक प्रति उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाती है। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि उसने घटना दिनांक को विद्युत कटौती का सेड्यूल नोटिस बोर्ड पर नहीं लगाया गया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि ग्राम कुआं में उसका लाईनमेन सीताराम है उसके अलावा अन्य कोई लाईनमेन नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि वह सभी 25 गांवों की चेकिंग करने रोज नहीं जाता था। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि वह अपने अधीनस्थों की टीम बनाकर भेजता था और घटना दिनांक को वह चिचली, चेनपुरा, देवला जाता था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उनके कार्यालय में इस संबंध में रजिस्टर में लिखा जाता है कि कौन कर्मचारी/अधिकारी कौन से गांव में किस दिनांक को गये है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह घटना दिनांक को जिस गांव में गया था उस गांव का इंद्राज रजिस्टर में किया गया था तथा यह भी स्वीकार किया है कि उक्त रजिस्टर की प्रतिलिपि पुलिस को नहीं दी थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के समय उनके कार्यालय में कोई कम्प्यूटर नहीं था। इस साक्षी से उसके कार्यालय के पत्र व्यवहार आवक-जावक रजिस्टर और विद्युत मण्डल के सेड्यूल के संबंध में कापी लंबा प्रतिपरीक्षण पैरा-11 से पैरा -18 किया गया है जो कि इस घटना से सुसंगत नहीं है।

09— साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक को जन लोगों ने उसके साथ घटना की थी वह उन्हें पहचान नहीं पाया था, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसने अभियुक्त संतोष की बातचीत अपने वरिष्ठ अधिकारी से करवाई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के दिन उसका मेडिकल परीक्षण नहीं हुआ था, उसके सिर में एक चोट आई थी और वह बहुत घबरा गया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने प्रायवेट अस्पताल में भी अपना इलाज नहीं करवाया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 1 के आवेदन में समय का उल्लेख नहीं है। साक्षी ने नक्शा मौका पर 8 दिसम्बर 2011 को हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि चोट आने पर कोई भी व्यक्ति अपना तत्काल ईलाज कराता है, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसे अंदरूनी चोटे थी और ग्राम दवाना में कोई ईलाज की सुविधा नहीं थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह उसके साथ घटना करने वाले 30-40 सभी व्यक्तियों के नाम नहीं बता सकता, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उन व्यक्तियों को उसके स्टॉफ के लोग पहचानते हैं और स्टॉफ के लोगों ने जिनके नाम बताये थे उनके नाम उसने प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट में लिखे थे, शेष व्यक्तियों को वह जानता है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह अभियुक्त संतोष को नाम से इसलिये जानता है कि वह उनके कार्यालय घटना के पहले भी कई बार शिकायत लेकर आया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 1 के आवेदन में कार्यालय का जावक क्रमांक नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके साथ घटना कारित करने वाले व्यक्तियों की पहचान नहीं करवाई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह नहीं बता सकता कि उसके अधीनस्थ स्टॉफ के लोग किसी गांव के लोगों से नाराज थे अथवा उनसे किसी की दुश्मनी है या नहीं। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त संतोष पाटीदार को जो सेड्यूल की प्रतिलिपि दी उस पर कोई जावक नम्बर नहीं था क्योंकि उसका कार्यालय वहा पर नहीं था इसलिये जावक नम्बर नहीं डाला था। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि यदि पुलिस

उससे भीड़ में उपस्थित 30-40 लोगों की पहचान कराती तो वह उन्हें नहीं पहचान सकता था, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि वह उन्हें पहचान लेता क्योंकि उसने प्रदर्श पी 1 की लेखी रिपोर्ट के पूर्व जाँच की थी और उन्हें देखा था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि यदि कोई संज्ञेप अपराध हो तो पुलिस को तत्काल सूचना देना चाहिए, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि वह अत्यधिक घबरा गया था और घटना रात्रि में हुई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 1 में जिन साक्षियों का नाम उल्लेख किया है उनके बताये अनुसार ही अभियुक्तगण के नामों का उल्लेख किया गया है। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि उनके विभाग के कर्मचारियों तथा उससे ग्राम कुआं के लोग विद्युत कटौती की बहुत शिकायत करते हैं इस कारण उसने तथा उसके कर्मचारियों से यह यह मिथ्या रिपोर्ट बनवाई है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि कंट्रोल रूम के दरवाजे का आकार दो से ढाई फीट का है तथा कंट्रोल रूम 12 X 14 फीट का है जिसमें पेनल लगा हुआ है तथा सुरक्षा की दृष्टि से ताला लगा रहता था, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि 30-40 लोग कंट्रोल रूम में नहीं घुसे थे, उनमें से कुछ व्यक्ति कंट्रोल रूम में घुसे थे जो उसे कंट्रोल रूम से पकड़कर झाड़ू के पास लेकर आये थे। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि वह अभियुक्तगण को फंसाने के लिए असत्य कथन कर रहा है।

10— सीताराम वर्मा (अ.सा.1) ने भी अशोक (अ.सा.3) का समर्थन करते हुए कथन किया है कि वह सभी अभियुक्तों को जानता है, वह दवाना में विद्युत वितरण कंपनी में वर्ष 2002 से लेकर वर्तमान तक पदस्थ, वह ग्राम कुआं सेक्टर का विद्युत कार्य देखता है, वर्ष 2011 में अशोक कुमार नामदेव सुपरवाइजर के पद पदस्थ था, दिनांक 19.10.2011 को न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण तथा अनुपस्थित अभियुक्त कार्यालय दवाना में आये थे तथा उन्होंने विद्युत वितरण से सेड्यूल के संबंध में जानना चाहा था तथा चिल्ला-चोट करते हुए सुपरवाइजर अशोक नामदेव को विद्युत कंपनी के कार्यालय से पकड़कर निकालकर कंट्रोल रूम ले गये। अभियुक्तगण ने सुपरवाइजर अशोक नामदेव से विद्युत वितरण का सेड्यूल लिखवाया था। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि घटना वाले दिन भीड़ के चिल्ला-चोट करने व कंट्रोल रूम में घुस जाने से उनके कार्य में बाधा उत्पन्न हुई थी। घटना की सूचना थाना ठीकरी पर लिखित में दी थी जो प्रदर्श पी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त दीपक, महेन्द्र, महादेव एवं दिनेश की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट सुपरवाइजर अशोक नामदेव ने लिखी थी जिस पर उसने हस्ताक्षर किये थे। भीड़ में लगभग 40-50 व्यक्ति थे, कुछ लोग बाहर थे कुछ लोग अंदर थे, उसने बाहर वाले व्यक्तियों को नहीं देखा था, अंदर वाले व्यक्तियों को देख था।

11— साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के समय वे लोग विद्युत वितरण कम्पनी में अपनी मर्जी से विद्युत प्रदाय चालु एवं बंद करते थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय दिन में 6 घंटे और रात्रि में 3 घंटे बिजली की कटौती की जाती थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि इससे ज्यादा बिजली की कटौती की जाती थी। साक्षी ने स्वीकार किया है

कि घटना के समय किसान लोग बिजली बंद होने पर शिकायत करने आते थे और पहले भी आयेथे। साक्षी ने स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण के अलावा घटना स्थल पर कुछ अन्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिनके नाम वह बता सकता है, जिनमें ज्ञानचंद पिता रामचंद, महादेव पिता ताराचंद भी थे। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने घटना की तारीख लिखकर रखी थी और तारीख लिखी हुई पर्ची भी साथ लेकर आया है। इस साक्षी से उसकी जन्म दिनांक, दोनों बच्चों की जन्म दिनांक उसकी याददाश्त का परीक्षण करने के लिये भी पूछी गई तो साक्षी ने अपनी जन्म दिनांक एवं अपने दोनों बच्चों की जन्म दिनांक बताई। बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी के किये गये प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव नहीं दिया गया कि उसके द्वारा उक्त जन्म तिथियां गलत बताई हैं अथवा उक्त जन्म तिथियां असत्य हैं, इस संबंध में कोई प्रमाण बचाव पक्ष की ओर से पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह उपधारणा की जा सकती है कि साक्षी ने उक्त सभी तिथियां सही बतायी हैं। ऐसी स्थिति में साक्षी द्वारा घटना की तिथि लिखकर रखने से साक्षी की विश्वसनीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

12- शेष अभियुक्तगण की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह क्षेत्र भ्रमण पर चला जाता है तथा कभी-कभी कार्यालय पर भी रहता है। भ्रमण के दौरान उपभोक्ता उनसे बिजली के आने जाने का समय भी पूछते हैं तो वह बता देता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना के समय विद्युत की कटौती ज्यादा थी। उक्त साक्षी ने उसकी स्वयं की खेती के संबंध में प्रश्न पूछे गये हैं जो कि प्रकरण से सुसंगत नहीं हैं। इस साक्षी से घटना की दिनांक पुनः पूछे जाने पर साक्षी ने घटना की दिनांक 20.10.2011 बताई है तथा यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट घटना के 2-3 दिन बाद की थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उनके कार्यालय का लेटर हैड होता है और कार्यालय में कोई कार्यवाही की जाती है तो वह लेटर हैड पर की जाती है अथवा नहीं यह उसके वरिष्ठ अधिकारी को मालूम है। इस साक्षी ने घटना का समय दिन के 10-11 बजे के बीच की होना बताया है, लेकिन इस साक्षी से बाद में पूछे गये प्रश्नों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह घटना वाले दिन दोपहर 11 से 11:30 बजे भ्रमण पर चला गया था और 6 बजे शाम को वापस आया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के समय 100 से 150 लोगों की भीड़ कार्यालय में आई थी जो कार्यालय में अशोक नामदेव से बात कर रहे थे।

13- साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि फरियादी का उस समय किन लोगों से विवाद हुआ था वह नहीं बता सकता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने किसी व्यक्ति को फरियादी अशोक नामदेव को मारपीट करते हुए नहीं देखा था, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि उनकी शर्ट की कॉलर पकड़कर अभियुक्तगण ले जा रहे थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि लगभग 40-50 व्यक्ति अशोक नामदेव को खींचकर ले जा रहे थे। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि प्रदर्श पी 1 पर क्या लिखा है वह नहीं बता सकता, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि जो घटना हुई थी वह लिखा था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट उसने पढ़ी थी और किस दिनांक को हस्ताक्षर किये थे वह यह भी नहीं बता सकता। इस साक्षी से कार्यालय का पत्राचार के संबंध में भी अनावश्यक रूप से प्रश्न पूछे गये हैं जो कि इस प्रकरण में

सुसंगत नहीं है। साक्षी ने पुलिस थाने पर कथन देना बताया है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने एक आवेदन पर हस्ताक्षर कार्यालय और थाने पर किये थे और घटना के 2-3 दि बाद रिपोर्ट करने थाने पर सभी लोग गये थे, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उनके कार्यालय में अभियुक्तों ने कोई भी घटना कारित नहीं की अथवा वह विभाग का होने के कारण असत्य कथन कर रहा है। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन घटना के संबंध में प्रतिपरीक्षण के दौरान अखंडित रहे हैं।

14- गंगाराम धनगर (अ.सा.5) का कथन है कि सह सभी अभियुक्तगण को जानता है। वह फरियादी अशोक कुमार नामदेव को भी जानता है। वह वर्ष 2011 में म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी में लाईन मेन के पद पर पदस्थ था तथा फरियादी अशोक कुमार नामदेव भी कनिष्ठ यंत्री के पद पर था। वह लाईनमेन सीताराम वर्मा को भी जानता है, जिस समय घटना हुई थी उस समय वह घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था, बाद में उसे पता चला कि ग्रीड में विवाद हुआ था, विवाद होने के 2 घंटे बाद वह आया था। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट लेखी में थाना ठीकरी पर लिखई थी जिस पर उसने हस्ताक्षर किये थे जो प्रदर्श पी 1 के ई से ई भाग पर है। साक्षी का कथन है कि उसने प्रदर्श पी 1 को पढ़ा नहीं था और फरियादी ने पढ़कर भी नहीं बताया था। उसने न्यायालय द्वारा पूछन पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने प्रदर्श पी 7 के कथन में दिनांक 19.10.2011 को भीड़ में शामिल अभियुक्तों द्वारा फरियादी को कंट्रोल के रूम से खींचकर गालियां देने और मारपीट करने के संबंध में बताया था। इस साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि अभियुक्तगण भीड़ में शामिल थे जिन्होंने घटना की है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि फरियादी वर्तमान में सेवानिवृत्त हो गया है और यह भी स्वीकार किया है कि वह अभी भी वही पर नौकरी कर रहा है तथा अभियुक्तगण भी उसी गांव में निवास करते हैं, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि इसकारण अभियुक्तगण को बचाने के लिये असत्य कथन कर रहा है।

15- गजानन्द (अ.सा.6), जगदीश (अ.सा.7), छतरसिंह पवार (अ.सा.8) ने भी फरियादी अशोक कुमार नामदेव (अ.सा.3) उसके साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा उसके साथ घटना कारित होने के संबंध में कथन देना बताया है। साक्षियों का कथन है कि प्रदर्श पी 1 की लिखी रिपोर्ट पर उन्होंने फरियादी के कहने से हस्ताक्षर किये थे, उक्त रिपोर्ट में क्या लिखा था वे नहीं बता सकते। न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर इन साक्षियों ने भी दिनांक 19.10.2011 को फरियादी के साथ अभियुक्तगण के द्वारा कंट्रोल रूम में से खींचकर उसे बाहर लाने के संबंध में घटना कारित करने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। साक्षियों ने सुझाव से इंकार किया है कि फरियादी ने अभियुक्त संतोष पाटीदार और साथ के व्यक्तियों को विद्युत कटौती का सेड्यूल बताया था। साक्षियों ने इस सुझाव से इंकार किया है कि वे अभियुक्तगण को जानते हैं इसलिये उन्हें बचाने के लिये असत्य कथन कर रहे हैं, संभवतः उक्त तीनों ही साक्षीगण अभियुक्तगण को जानने के कारण तथा उस गांव में नौकरी होने के कारण जानबुझकर अभियोजन के मामले का

समर्थन नहीं कर रहे हैं, जबकि उक्त तीनों ही साक्षियों ने मौखिक परीक्षण में स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर हैं और साक्षियों का यह कथन नहीं है कि उन्होंने किसी के दबाव में प्रदर्श पी 1 पर अपने हस्ताक्षर किये थे। ऐसी स्थिति में यह उपधारणा की जा सकती है कि प्रदर्श पी 1 पर उनके द्वारा हस्ताक्षर स्वेच्छया पूर्वक किये गये थे और उसमें लिखी घटना उनके समक्ष हुई थी।

16— बाबूलाल (अ.सा.2) तथा जगदीश (अ.सा.7) ने फरियादी और अभियुक्तों को पहचानने के अतिरिक्त अन्य कोई वान अभियोजन के समर्थन में नहीं किये हैं। उक्त साक्षियों से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षियों ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है तथा समस्त सुझावों से इंकार किया है। संभवतः उक्त साक्षी अभियुक्तों के प्रभाव में आकर या भूल जाने के कारण अभियोजन का समर्थन नहीं कर रहे हैं।

17— ओमप्रकाश यादव (अ.सा.10) का कथन है कि दिनांक 29.10.11 को उसे थाना ठीकरी में थाना प्रभारी से प्रदर्श पी 1 का आवेदन जांच हेतु प्राप्त हुआ था, उसने आवेदन पत्र की जांच के दौरान आवेदकगण के कथन उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये थे जिससे आवेदन पत्र प्रदर्श पी 1 की पुष्टि हुई थी तब उसने अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रदर्श पी 10 का अपराध क्रमांक 197/11 दिनांक 08.12.2011 का दर्ज किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, उसने नक्शामौका प्रदर्श पी 3 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, उसने कनिष्ठ यंत्री विद्युत वितरण कंपनी अशोक कुमार नामदेव के शासकीय सेवक होने के संबंध में म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बड़वानी संभाग से जानकारी प्राप्त की थी जिसका पत्र प्रदर्श पी 11 है, उसने फरियादी और साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 1 के आवेदन में कार्यालय का क्रमांक उल्लेखित नहीं है और घटना का समय भी उल्लेखित नहीं है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि आवेदन पत्र में निश्चित समय नहीं लिखा गया है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने प्रकरण के साक्षी सीताराम, जगलेवा, गजानंद, शिवाजी, गंगाराम मेघन और बाबूलाल जो कि लाईनमेन हैं के शासकीय सेवक होने एवं घटना के संबंध में एवं घटना स्थल पर उपस्थित होने के संबंध में कोई दस्तावेज या प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया था, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसने फरियादी का शासकीय सेवक होने के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने घटना स्थल पर हुई नुकसानी के संबंध में कोई पंचनामा नहीं बनाया था, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया है कि प्रदर्श पी 1 के आवेदन में नुकसानी के संबंध में कोई शिकायत नहीं की गई थी। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि घटना स्थल के आसपास के स्वतंत्र साक्षियों के कथन नहीं लिये थे, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि छतरसिंह, एवं जगदीश के कथन लिये थे जो कि विद्युत वितरण कंपनी दवाना के सामने निवास करते हैं। साक्षी ने स्वीकार किया है कि फरियादी के द्वारा थाने पर दिये गये आवेदन प्रदर्श पी 1 में कही भी घटना दिनांक का उल्लेख नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव से भी स्पष्ट इंकार किया है कि फरियादी ने उसे बताया था कि उसके द्वारा आवेदन पर जिन व्यक्तियों के नाम लिखे हैं वे बार-बार विद्युत कटौती की शिकायत लेकर विद्युत

वितरण कंपनी दवाना में आते हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में वह फरियादी है और संपूर्ण अनुसंधान उसके द्वारा किया गया है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया है कि वह अपनी विवेचना को बल देने के लिये असत्य कथन कर रहा है। संभवतः उक्त साक्षी ने स्वयं फरियादी होना भूलवश स्वीकार किया है क्योंकि इस घटना का फरियादी अशोक कुमार नामदेव (अ.सा.3) है, जिसके द्वारा घटना की लेखी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 की थाने पर की गई है तथा प्रारंभिक जाँच के बाद ओमप्रकाश यादव (अ.सा.10) ने उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी ओमप्रकाश यादव (अ.सा.10) को प्रकरण का फरियादी होना नहीं माना जा सकता।

18— डी.एस. चौहान (अ.सा.4) का कथन है कि दिनांक 11.12.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था, उक्त दिनांक को नगर सैनिक कमल थाना ठीकरी से आहत अशोक कुमार पिता रामचन्द्र, निवासी ग्राम दवाना को चिकित्सीय परीक्षण के लिये उसके समक्ष लाया था, उसने आहत का चिकित्सीय परीक्षण करने में शरीर पर कोई बाहरी चोट होना नहीं पाई गई, आहत ने सिर दर्द, चक्कर एवं दिखने में कमी होने की शिकायत की थी, उक्त शिकायत आहत ने 1 से 21 दिन के मध्य की होना बताई थी, उसने आहत का एक्सरे परीक्षण के लिये जिला चिकित्सालय बड़वानी रेफर किया था, साक्षी ने उसके परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी 5 प्रमाणित किया है तथा एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर आहत को सिर में कोई अस्थिभंग नहीं होना पाया था। साक्षी ने प्रदर्श पी 5 एवं प्रदर्श पी 6 पर अपने हस्ताक्षर ए से ए भाग पर होना स्वीकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि 40 वर्ष से अधिक की आयु होने पर किसी भी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, सुगर की शिकायत होना संभव है।

19— जे.आर. कनखरे (अ.सा.11) का कथन है कि दिनांक 30.05.2012 को वह म. प्र.प.क्षे.वि.वि.कंपनी लिमिटेड बड़वानी संभाग में कार्यपालन यंत्री के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके निर्देशानुसार थाना ठीकरी का पत्र दिनांक 29.05.2012 के पालन में दवाना विद्युत वितरण केन्द्र पर पदस्थ कनिष्ठ यंत्री अशोक कुमार नामदेव के संबंध चाही गयी जानकारी उसके कार्यालय के पत्र क्रमांक 2546 दिनांक 30.05.12 के अनुसार थाना ठीकरी को प्रेषित की गई थी जिसमें अशोक कुमार नामदेव कनिष्ठ यंत्री को दिनांक 19.10.11 को शाम 4:15 बजे अपने कर्तव्य पर उपस्थित होकर शासकीय कार्य संपादित करने के संबंध में प्रदर्श पी 11 का पत्र जारी किया था जिसके ए से ए भाग पर सहायक यंत्री एस.के. चौहान के हस्ताक्षर हैं, जो उसके अधीनस्थ होकर उसके निर्देशानुसार कार्य संपादित करता है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसके अधीनस्थ कर्मचारी के साथ कोई घटना घटित होती है तो उसके द्वारा लिखित में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाता है, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि मौखिक में भी कराया जाता है। साक्षी ने यह ज्ञात होने से इंकार किया है कि उसे फरियादी ने दिनांक 19.10.11 को घटना की सूचना लिखित में दी थी या नहीं, उसे ज्ञात नहीं है। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि प्रदर्श पी 11 के प्रमाण पत्र में दिनांक

20.10.11 को कनिष्ठ यंत्री अशोक कुमार नामदेव विद्युत वितरण कंपनी दवाना में पदस्थ था इसका स्पष्ट उल्लेख है।

20— अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण के फरियादी द्वारा लिखाई गई प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट में घटना का दिनांक और समय का उल्लेख नहीं है फरियादी ने जिन साक्षियों द्वारा अभियुक्तगण के नाम प्रदर्श पी 1 में बताने से लिखना बताया है, उन्होंने अभियोजन के मामलों के समर्थन नहीं किया है तथा अभियोजन के चश्मदीद बताये गये साक्षियों में से बाबूलाल वास्कले (अ.सा.2), गंगाराम धनगर (अ.सा.5), गजानन्द (अ.सा.6), जगदीश (अ.सा.7), छतरसिंह (अ.सा. 8) पक्ष विरोध रहे हैं तथा उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा विलंब से की गई है तथा कार्यालय का आवक-जावक नम्बर भी लिखा नहीं है तथा विद्युत कटौती को लेकर भीड़ द्वारा फरियादी के साथ उक्त घटना कारित की गई, अभियुक्तों की पहचान फरियादी से नहीं कराई गई है। लेखी रिपोर्ट में कार्यालय का आवक जावक नम्बर का उल्लेख नहीं है तथा घटना का समय भी नहीं बताया गया है, ड्यूटी प्रमाण पत्र में साक्षियों के नाम भी उल्लेख नहीं है तथा फरियादी का मेडिकल विलंब से कराया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथानक शंकास्पद हो जाता है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्ति के अधिकारी हैं।

21— यह सही है कि फरियादी अशोक कुमार नामदेव (अ.सा.3) ने घटना के एक दिन बाद लेखी रिपोर्ट थाने में करना बताया है, लेकिन उक्त विलंब का स्पष्ट कारण बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उस समय रात हो गई थी तथा घटना की सूचना थाने पर अगले कार्य दिवस में सुबह 11:00 बजे दी गई है तथा लिखित रूप से प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट भी फरियादी अशोक कुमार नामदेव (अ.सा.3) द्वारा अपने वरिष्ठ कार्यालय को भी की गई। फरियादी ने घटना के पश्चात स्वयं भयभीत होना भी बताया है जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने में हुए विलंब का उचित स्पष्ट कारण है तथा उक्त विलंब से अभियुक्तों के हित पर क्या विपरित प्रभाव पड़ा इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से कोई भी कथन नहीं है। जहां तक घटना के समय फरियादी द्वारा प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट में नहीं लिखने का संबंध है वहां फरियादी ने प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट घटना के समय शाम 4:15 बजे की बात होना बताया है जिसके, जिसके संबंध में उक्त फरियादी को बचाव पक्ष की ओर से यह सुझाव नहीं दिया गया है कि घटना शाम 4:15 बजे के पश्चात नहीं घटी, यहां तक कि उक्त साक्षी से यह भी स्पष्ट नहीं पूछा गया कि घटना का सही समय क्या था। ओमप्रकाश यादव (अ.सा.10) ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आवेदन में घटना का दिनांक, समय नहीं लिखा गया, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया है कि शाम 4:15 बजे घटना होना लिखा है, जहां तक घटना का दिनांक प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट में नहीं लिखने का प्रश्न है वहां प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि घटना के एक दिन बाद फरियादी ने उक्त लेखी रिपोर्ट की है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष के उक्त तर्क भी स्वीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

22— अशोक कुमार नामदेव (अ.सा.3) ने अभियुक्तों की पहचान उसके द्वारा घटना कारित करने वाले व्यक्तियों के रूप में स्पष्ट रूप से की है, उक्त साक्षी का यह भी

कथन है कि उपस्थित अभियुक्तगण उसे खींचकर कंट्रोल रूम से बाहर लाये और अभियुक्त के उक्त कार्य से उसके शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षण में घटना की दिनांक 19.10.2011 होना बताई है, इसका भी कोई खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। अशोक कुमार नामदेव (अ.सा.3) के कथन की पुष्टि सीताराम (अ.सा.1) के कथन से होती है, जिसने भी दिनांक 1.10.2011 को अभियुक्तगण द्वारा म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंट्रोल रूम में घुसकर अशोक कुमार नामदेव (अ.सा.3) को पकड़कर बाहर निकालने और उनके द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं। प्रतिपरीक्षण के दौरान भी उक्त साक्षी के कथन का कोई भी खण्डन नहीं हुआ है, जहां तक इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-12 में यह स्पष्ट किया है कि अभियुक्तगण, अशोक कुमार नामदेव (अ.सा.3) की शर्ट की कॉलर पकड़कर ले जा रहे थे और जो घटना हुई उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 की फरियादी ने की थी तथा उसने पढ़कर हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने भी उपस्थित अभियुक्तगण की पहचान अशोक कुमार नामदेव (अ.सा.3) के साथ घटना कारित करने वाले व्यक्तियों के रूप में की है, जिसका भी कोई खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है।

23— न्याय दृष्टांत सैयद दारेन अहसान विरुद्ध स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ए.आई.

आर. 2012 एस सी 1286, दीपक उर्फ वायरलेस विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2012 (8) एस.सी. सी. 785, तथा मलखानसिंह विरुद्ध म.प्र. राज्य ए.आई आर. 2003 एस. सी. 2669 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जिन प्रकरणों के फरियादी और साक्षियों ने अभियुक्त को घटना के पहले से ही जानते हैं और न्यायालय में कथन के दौरान उपस्थित अभियुक्तों की पहचान भी की है तो ऐसी स्थिति में विवेचना के दौरान अभियुक्तगणकी पहचान फरियादी और साक्षियों से नहीं करवाये जाने से विपरित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता तथा साक्षियों द्वारा न्यायालय में अभियुक्तों की, की गई पहचान पूर्णतः विश्वसनीय होती है, जहां तक चश्मदीद शेष साक्षी बाबलूलाल वास्कले (अ.सा.2), गंगाराम धनगर (अ.सा.5), गजानन्द (अ.सा.6), जगदीश (अ.सा.7) तथा छतरसिंह पवार (अ.सा.8) द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करने का प्रश्न है, वहां किसी भी मामलों को प्रमाणित करने के लिये साक्षियों का कोई विशेष संख्या अपेक्षित नहीं होता तथा एक मात्र साक्षी के कथन यदि पूर्णतः विश्वसनीय है तो इस आधार पर अभियोजन अपना मामला प्रमाणित कर सकता है।

24 जहां तक अशोक कुमार नामदेव (अ.सा.3) को घटना के तुरंत बाद मेडिकल परीक्षण करने या उसे कोई भी चोट नहीं होने का प्रश्न है, वहां एक शासकीय लोक सेवक यदि कार्य स्थल पर कार्य के घंटों के दौरान जबरदस्ती पकड़कर उसके कार्य स्थल से बाहर लाया जाता है तथा उसके साथ अभद्रता की जाती है तो उक्त घटना उसके शासकीय कार्य में बाधा पहुंचना और उसे कर्तव्य निर्वहन से भयोप्रत करने के लिये हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने का अपराध गठित करने के लिये पर्याप्त है, इसलिये आहत को कोई दृश्यमान चोट होना आवश्यक नहीं है। अशोक कुमार नामदेव (अ.सा.3) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-18 में

स्पष्ट किया है कि उसके शरीर में एक चोट आई थी और वह बहुत घबरा गया गया था, जिसका कोई खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में भी नहीं हुआ है। जहां तक लेखी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में आवक जावक का नम्बर नहीं होने का प्रश्न है वह केवल एक औपचारिकता है तथा घटना की परिस्थितियों को देखते हुए उक्त नम्बर उल्लेखित नहीं होने से अभियोजन के मामले पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ता है। जहां तक चश्मदीद साक्षियों के नाम ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 11 में नहीं होने का प्रश्न है वहां चूंकि घटना का फरियादी केवल अशोक नामदेव ही है जिसके विरुद्ध उक्त अपराध घटित हुआ है, ऐसी स्थिति में शेष अभियोजन साक्षियों के ड्यूटी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

25— प्रदर्श पी 1 की लिखित रिपोर्ट की जाँच उपरांत ओमप्रकाश यादव (अ.सा. 10) ने घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 की दर्ज की थी और विवेचना की है। जे.आर. कनखरे (अ.सा.11) ने घटना समय और दिनांक को अशोक कुमार नामदेव (अ.सा.3) ने अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहने के संबंध में स्पष्ट कथन किये, उक्त दोनों ही साक्षियों का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है, उक्त दोनों ही साक्षियों ने कर्तव्य निर्वहन के दौरान कार्य करता होकर उक्त कार्यवाही की है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अनुसार यह उपधारणा की जा सकती है कि उक्त साक्षियों द्वारा उक्त कार्य नियमित रूप से संपादित किया गया है।

26— अशोक कुमार नामदेव (अ.सा.3) तथा सीताराम वर्मा (अ.सा.1) ने अभियुक्तों द्वारा एक साथ म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय में आकर फरियादी के साथ उक्त घटना कारित करने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं और उक्त साक्षियों का यह भी कथन है कि अभियुक्तगण के साथ कुल 40—50 व्यक्ति जिन्होंने फरियादी को बल पूर्वक पकड़कर कंट्रोल रूम से बाहर निकालकर तथा उसके साथ हमला और आपराधिक बल का प्रयोग किया ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण का एक साथ आना लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन में भयोप्रद करने के आशय से उस पर हमला एवं आपराधिक बल का प्रयोग करने तथा उसे उपहति कारित करना उनके सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने हेतु विधि विरुद्ध जमाव का गठन होना भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है, क्योंकि अभियुक्तगण यह जानते थे कि उनका सामान्य उद्देश्य अशोक कुमार नामदेव (अ.सा.3) जो कि एक लोक सेवक है, को आपराधिक बल द्वारा या अपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आंतकित करना है जो कृत्य भा.द.वि. की धारा 147 में परिभाषित बलवा के अपराध की श्रेणी में आता है।

27— उक्त विवेचना के आधार न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि अभियुक्तगण जो कुल संख्या में 5 से अधिक थे ने दिनांक 19.10.11 को शाम लगभग 4:15 बजे ग्राम दवाना स्थित म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय में विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर बलवा कारित किया, जिसका सामान्य उद्देश्य अशोक कुमार नामदेव (अ.सा.3) के साथ मारपीट करना था तथा अशोक जो कि लोक सेवक के नाते कार्य का निष्पादन कर रहा था को कर्तव्य निष्पादन में स्वेच्छया पूर्वक बाधा डालकर आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा उसे स्वेच्छया उपहति कारित की जो भा.द.वि.

की धारा 147, 353 एवं 332 का अपराध है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त संतोष पिता महादेव, उम्र.42 वर्ष निवासी ग्राम कुआं, महेश पिता आमीचंद उर्फ अमरसिंह, उम्र.38 वर्ष निवासी ग्राम कुआं, राकेश पिता दयाराम, उम्र. 41 वर्ष निवासी ग्राम कुआं, ओमप्रकाश पिता सदाशिव, उम्र.44 वर्ष निवासी ग्राम कुआं, प्रकाश उर्फ बबन पिता राजेन्द्र, उम्र.31 वर्ष निवासी ग्राम कुआं, दीपक पिता रघुनाथ, उम्र. 42 वर्ष निवासी ग्राम कुआं, भगवान पिता गजानन्द, उम्र.42 वर्ष निवासी ग्राम कुआं, महेन्द्र पिता श्रीराम उर्फ शोभाराम, उम्र.38 वर्ष निवासी ग्राम कुआं, महादेव पिता अमीचन्द, उम्र.41 वर्ष निवासी ग्राम कुआं, दिनेश पिता गजानन्द, उम्र.45 वर्ष निवासी ग्राम कुआं को भा.द.वि. की धारा 147, 353, 332 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।

— विचारणीय प्रश्न क्रमांक (ii) पर सकारण निष्कर्ष —

28— उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अशोक कुमार नामदेव (अ.सा.3) ने कोई कथन नहीं किया है, शेष अभियोजन साक्षियों ने भी उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में भा.द.वि. की धारा 294 का अपराध अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होता है। अतः भा.द.वि. की धारा 294 के अपराध में अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

29— चूंकि प्रकरण का विचारण वारंट प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। अतः सजा के प्रश्न पर सुनने हेतु निर्णय लेखन स्थगित किया गया।

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.

पुनश्च:

30— सजा के प्रश्न पर अभियोजन और अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया उन्होंने निवेदन किया कि अभियुक्तगण सम्पन्न परिवार के मध्यम आयु के कृषक हैं तथा उनका कोई आपराधिक आशय नहीं था, अभियुक्तगण विचारण का नियमित रूप से सामना कर रहे हैं। अतः सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए।

31— यह सही है कि अभियुक्तगण सम्पन्न परिवार के ग्रामीण पृष्ठ भूमि के कृषक हैं तथा विचारण का सामना नियमित रूप से किया है, लेकिन जिस तरह से फरियादी के साथ उसके कर्तव्य निर्वहन के दौरान अभियुक्तगण के द्वारा अपराध किया गया है उसे देखते हुए अभियुक्तगण न्यूनतम दंड से दंडित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त संतोष पिता महादेव, उम्र.42 वर्ष निवासी ग्राम कुआं, महेश पिता आमीचंद उर्फ अमरसिंह, उम्र.38 वर्ष निवासी ग्राम कुआं, राकेश पिता दयाराम उर्फ रामेश्वर पाटीदार, उम्र. 41 वर्ष निवासी ग्राम कुआं, ओमप्रकाश पिता सदाशिव, उम्र.44 वर्ष निवासी ग्राम कुआं, प्रकाश उर्फ बबन पिता राजेन्द्र, उम्र.31 वर्ष निवासी ग्राम कुआं, दीपक पिता रघुनाथ, उम्र.42 वर्ष निवासी ग्राम कुआं, भगवान पिता गजानन्द, उम्र.42 वर्ष निवासी ग्राम कुआं, महेन्द्र

पिता श्रीराम उर्फ शोभाराम, उम्र.38 वर्ष निवासी ग्राम कुआं, महादेव पिता अमीचन्द उर्फ अलोकचन्द पाटीदार, उम्र.41 वर्ष निवासी ग्राम कुआं, दिनेश पिता गजानन्द, उम्र.45 वर्ष निवासी ग्राम कुआं को भा.द.वि. की धारा 147 के अपराध के आरोप में दोषी ठहराते हुए छः-छः माह के सश्रम कारावास तथा रुपये 500—500/— अर्थदण्ड से दंडित करता है, अर्थदण्ड की राशि जमा न करने पर अभियुक्त 7—7 दिन का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाए, भा.द.वि. की धारा 353 में सभी अभियुक्तगण को दोषी ठहराते हुए एक—एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा रुपये 500—500/— अर्थदण्ड से दंडित करता है, अर्थदण्ड की राशि जमा न करने पर अभियुक्त 15—15 दिन का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाए, भा.द.वि. की धारा 332 में सभी अभियुक्तगण को दोषी ठहराते हुए एक—एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा रुपये 1,000—1,000/— अर्थदण्ड से दंडित करता है, अर्थदण्ड की राशि जमा न करने पर अभियुक्त 1—1 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाए, उक्त सभी सजाएँ साथ—साथ चलेगी। अर्थदंड की राशि अदा होने पर उसमें से रुपये 5,000/— अपील अवधि पश्चात फरियादी अशोक नामदेव को दं.प्र.सं. की धारा 357 (1) के अनुसार प्रदान किया जाए।

32— अभियुक्तगण अपनी व्यतीत की गई निरोध अवधि को दंप्रसं की धारा 428 के प्रावधानों अनुसार दी गई सजा में से मुजरा कराने का पात्र है, तत्संबंधी निरोध अवधि बाबत धारा 428 दंप्रसं का प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

33— अभियुक्तगण के जमानत—मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

34— निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अभियुक्तगण को निःशुल्क प्रदान की जाए।

35— प्रकरण में कोई जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.